न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 188/2024(GCMS : 2024/270)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व मं ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8–जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **उग्रसेन** पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी गांव दौलतपुरा, वार्ड नं. 5, 3 क्यू जिला श्रीगंगानगर पिन–335038
2. **प्रमोद कुमार** पत्नी श्री कृष्णलाल निवासी वार्ड नं. 5, दौलतपुरा, 3 क्यू मिर्जेवाला, जिला श्रीगंगानगर पिन–335038
3. **कृष्णलाल** पुत्र श्री शिवनाथ निवासी वार्ड नं. 10, 30 जीजी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर पिन–335022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण उग्रसेन, प्रमोद कुमारी एवं कृष्णलाल को ऋण सुविधा के रूप में 11.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.07.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 08.04.2024 को 10,63,267/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी उग्रसेन द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति [illegible] विक्रय विलेख प्लॉट नं. 88/3 ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर साईज 72 गुणा 72 फीट (5184 सक्वायर फीट)** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण उग्रसेन, प्रमोद एवं कृष्णलाल** को ऋण सुविधा के रूप में 11.00/– लाख रूपये **(अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 27.07.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी उग्रसेन ने अपनी अचल सम्पत्ति **आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्लॉट नं. 88/3 ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर साईज 72 गुणा 72 फीट (5184 सक्वायर फीट) है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 02.04.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण उग्रसेन एवं प्रमोद को धारा 13(2) का नोटिस के प्राप्त हो गये है, परन्तु अप्रार्थी कृष्णलाल को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा [illegible] पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी उग्रसेन की अचल सम्पत्ति आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्लॉट नं. 88/3 ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर साईज 72 गुणा 72 फीट (5184 सक्वायर फीट) है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.04.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.04.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.04.2024 को भिजवाये** गये थे, जिसकी **रसीद** पत्रावली में **उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण उग्रसेन एवं प्रमोद को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, परन्तु अप्रार्थी कृष्णलाल को जारी धारा 13(2) का नोटिस पर रिपोर्ट Item Retruned Deceased के साथ प्रार्थी बैंक को प्राप्त हो गया हैं।** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस** की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दी समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की दिनांक 09.05.2024 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 23.05.2024 को प्रकाशित करवाया है। **अप्रार्थी कृष्णलाल को जारी धारा 13(2) के नोटिस पर दिनांक 17.04.2024 की रिपोर्ट Item Retruned Deceased के पश्चात दिनांक 22.04.2024 को प्रार्थी बैंक को प्राप्त हो गया है। प्रार्थी बैंक ने विचाराधीन प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 16.11.2024 को पेश किया है और अप्रार्थी मृतक कृष्णलाल के वारिसों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है और न ही अप्रार्थी कृष्ण लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामा पेश किया है।**

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **पुरूष की दशा में उतराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:**
>
> **(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> **(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है**
>
> **..............................**

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक कृष्णलाल [illegible] के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों रिकॉर्ड पर लिया [illegible] आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी** नं. **27230 / 2009 अनवान्** एस. **सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.04.2024 अप्रार्थी स्व. कृष्णलाल के विधिक उत्तराधिकारियों उतराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. कृष्णलाल के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस जारी न कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने **2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr** के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see as Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू.स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested